



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168939

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 38223 वर्ष 2025

गौरव गर्ग उर्फ चीनू और 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अतुल कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन किया गया।

2. यह आवेदन बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत दिनांक 19 अक्टूबर, 2021 के आरोप-पत्र, दिनांक 14 फरवरी, 2022 के संज्ञान/समन आदेश तथा मुकदमा अपराध संख्या 0439 सन् 2021 से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 2326 सन् 2022 (राज्य बनाम गौरव गर्ग और अन्य),

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 323, 504 एवं 506 आई.पी.सी., थाना-सिविल लाइंस, जिला-अलीगढ़, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर निरस्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. वर्तमान आपराधिक आवेदन पर विचार करते समय, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 11 नवंबर, 2025 को आदेश पारित करते हुए आवेदकों को पक्षकारों के मध्य हुए समझौते को उसके सत्यापन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और विचारण न्यायालय को उक्त समझौते का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया था।

4. उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में, विचारण न्यायालय ने दिनांक 23 जुलाई, 2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों के मध्य हुए उक्त समझौते का सत्यापन कर दिया है। समझौते का सत्यापन करने वाले उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति आज न्यायालय में दाखिल किए गए पूरक शपथपत्र के अनुलग्नक संख्या एस.ए. संख्या 1 के रूप में संलग्न की गई है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है और उक्त समझौते का अवर न्यायालय द्वारा सत्यापन भी किया जा चुका है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त आपराधिक मामले की संपूर्ण कार्यवाही निरस्त कर दी जाए।

6. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि यदि उपर्युक्त मामले की कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

7. यह न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य; (2003) 4 एससीसी 675,
- (ii) निखिल मर्चेट बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन; (2008) 9 एससीसी 677,
- (iii) मनोज शर्मा बनाम राज्य व अन्य; (2008) 16 एससीसी 1,
- (iv) ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य; (2012) 10 एससीसी 303,
- (v) नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य; (2014) 6 एससीसी 466,
- (vi) डिम्पी गुजराल बनाम विवेक गुजराल और अन्य बनाम। केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से. प्रशासक चंडीगढ़ एवं अन्य; (2013) 11 एससीसी 497,
- (vii) एच.एन. पांडकुमार बनाम कर्नाटक राज्य; 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 38 , तथा
- (viii) नौशे अली और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य; (2025) 4 एससीसी 78।

8. उपर्युक्त निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि कुछ संज्ञेय एवं गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के मध्य समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा शैफुल्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य; 2013 (83) एससीसी 278 में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उपर्युक्त मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को विस्तारपूर्वक समझाया गया है।

9. जैसा कि उपर्युक्त उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों को भी ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का सुविचारित



मत है कि उपर्युक्त आपराधिक मामले की कार्यवाही को आगे लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि पक्षकार पहले ही अपने विवाद का निस्तारण कर चुके हैं।

10. तदनुसार, मुकदमा अपराध संख्या 0439 सन् 2021 से उत्पन्न आपराधिक मुकदमा संख्या 2326 सन् 2022 (राज्य बनाम गौरव गर्ग और अन्य), धारा 323, 504 एवं 506 आई.पी.सी., थाना-सिविल लाइंस, जिला-अलीगढ़, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

11. वर्तमान अपील तदनुसार **स्वीकार** की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

12 अगस्त, 2026

सुशील/-